अनुदान संख्या 8 - नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 8 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2257,79,00	2556,94,00	2509,08,07	-47,85,93
पूरक	Supplementary	299,15,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				46,18,91
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	99,35,00	101,74,00	97,11,85	-4,62,15
पूरक	Supplementary	2,39,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,32,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹4785.93 लाख) दिसम्बर, 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त ₹29915.00 लाख की पूरक अनुदानों का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹4785.93 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹29915.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"					
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	5350.00		6764.00	6718.10	-45.90
पु.	R.	1414.00				
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"					
नागर विमानन	Civil Aviation					
मू.	O.	200232.00		244311.09	244189.97	-121.12
पू.	S.	29915.00				
पु.	R.	14164.09				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	20197.00		..	..	..
पु.	R.	-20197.00				

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹20229.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹20197.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क और विमानन अवसंरचना उपलब्ध कराना – क्षेत्रीय संपर्क योजना" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधित परियोजना/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹20229.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹20197.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Providing Air Connectivity and Aviation Infrastructure in North Eastern Region (NER) - Regional Connectivity Scheme" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(II) Under Major Head "3053" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) “निदेशन एवं प्रशासन – नागर विमानन महानिदेशक” – ₹1004.18 लाख की बचत (₹17854.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा और एलटीसी दावे प्राप्त होने, कम परामर्शदाताओं की नियुक्ति किए जाने, किराए के प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने, कार्यालय उपकरणों की कम खरीद और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) “निरीक्षण – वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक”– ₹851.36 लाख की बचत (₹7997.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा और एलटीसी दावों की प्राप्ति, कम डाटा एंट्री ऑपरेटरों और परामर्शदाताओं की भर्ती, लघु सिविल और विद्युत कार्यों को अंतिम रूप न देने और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के साथ किराया समझौते को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “उद्योगों/कंपनियों को सहायता – भारत में ड्रोन और ड्रोन घटक उद्योग/कंपनी हेतु पीएलआई योजना के लिए सहायता” – ₹1989.65 लाख की बचत (₹5700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा ड्रोन निर्माण कंपनियों के लिए सिफारिश न किए जाने के कारण हुई।

(घा) “सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता– एयर इंडिया परिसंपति होल्डिंग (एसपीवी)” – ₹34061.00 लाख की बचत (₹115879.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ववर्ती एयर इंडिया लिमिटेड के किराये/ब्याज और संपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्तियों के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13581.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष “3053” – “सामान्य” के अंतर्गत ₹29915.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) “स्वायत्त निकायों को सहायता – एईआरए को सहायता अनुदान” – ₹360.00 लाख।

(A) “Direction and Administration - Director General Civil Aviation” - saving of ₹1004.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17854.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and LTC claims, hiring of less consultants, non-finalization of proposals for rent, less procurement of office equipment and less tours undertaken.

(B) “Inspection - Controller of Aeronautical Inspection” - saving of ₹851.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7997.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and LTC claims, hiring of less data entry operators and consultants, non-finalisation of minor civil and electrical works and non-finalisation of rent agreement with Airport Authority of India (AAI).

(C) “Assistance to Industries/Companies - Assistance to PLI Scheme for Drone and Drone Component Industry/Company in India” - saving of ₹1989.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5700.00 lakhs) was due to non-recommendation of Drone manufacturing companies by Project Management Agency (PMA).

(D) “Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Air India Assets Holding (SPV)” - saving of ₹34061.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115879.00 lakhs) was due to receipts from rentals/interest and monetization of properties of erstwhile Air India Limited.

2.(I) The above savings were partly (₹13581.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹29915.00 lakhs under Major Head “3053” - “General” -

(A) “Assistance to Autonomous Bodies - Grants-in-aid to AERA” - ₹360.00 lakhs.

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता"—

(क) "क्षेत्रीय संपर्क योजना" — ₹804.00 लाख।

(ख) "सीमा शुल्क लागत वसूली शुल्क" — ₹12417.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:—

(का) मुख्य शीर्ष "3451" — "सचिवालय — नागर विमानन मंत्रालय" — ₹1368.10 लाख का अधिक व्यय (₹5350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, सितंबर, 2024 में एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एपीएसी—एमसी) के आयोजन के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति और आईआरसीटीसी के बकाया बिलों के निपटान के किए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3053" —

(क) "विमान सेवाएं — पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाएं — क्षेत्रीय संपर्क योजना" — ₹18324.15 लाख का अधिक व्यय (₹3.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "सामान्य" —

(i) "निदेशन और प्रशासन — विनिवेश के बाद एयर इंडिया" — ₹17700.00 लाख का अधिक व्यय (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विवाद से विश्वास योजना और अन्य जीएसटी मामलों के तहत प्रत्यक्ष कर निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, एआईएएचएल सीजीएचएस योजना के तहत एयर इंडिया

(B) "Assistance to Public Sector and Other undertakings" -

(a) "Regional Connectivity Scheme" - ₹804.00 lakhs.

(b) "Customs Cost Recovery Charges" - ₹12417.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Civil Aviation" - excess of ₹1368.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5350.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, requirement of additional funds towards reimbursement to Airport Authority of India (AAI) for organising Asia Pacific Ministerial Conference (APAC-MC) held in September, 2024 and settlement of outstanding bills of IRCTC.

(B) Major Head "3053" -

(a) "Air Services - Schemes for NE Region - Regional Connectivity Scheme" - excess of ₹18324.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on project/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "General" -

(i) "Direction and Administration - Air India after Disinvestment" - excess of ₹17700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Direct Tax settlement under Vivad se Vishwas scheme and other GST cases, renewal

के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वार्षिक सदस्यता के नवीकरण के कारण हुआ।

of the annual membership of eligible retirees of Air India under Air India Assets Holding Limited (AIAHL) CGHS Scheme.

(ii) "स्वायत्त निकायों को सहायता – आईजीआरयूए को सहायता अनुदान" – ₹2799.00 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांच प्रशिक्षक विमानों की खरीद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) द्वारा सीएई की प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "Assistance to Autonomous Bodies - Grants-in-aid to IGRUA" - excess of ₹2799.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of five trainer aircrafts and committed liabilities of CAE by Indira Gandhi Rastriya Uran Academy (IGRUA).

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹462.15 लाख) मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹239.00 लाख की पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹462.15 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹239.00 lakhs obtained in March, 2025 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआः –

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	9504.00	8560.00	8536.12	-23.88
पु.	R.	-944.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “5475” अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ पर पूंजीगत व्यय	Major Head “5475” Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	431.00			
पू.	S.	239.00	1182.00	1175.73	-6.27
पु.	R.	512.00			

(I) मुख्य शीर्ष “5475” – “निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय (आर्थिक सेवाएँ)” के अंतर्गत ₹375.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹125.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹500.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹187.97 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) आईसीटी उपकरणों, फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head “5475” - “Direction and Administration - Secretariat (Economic Services)” - the original provision of ₹375.00 lakhs was augmented to ₹500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹125.00 lakhs. However, there was a saving of ₹187.97 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalization of procurement proposal for ICT equipment and furniture and fixtures.

(II) मुख्य शीर्ष “5053” – “सामान्य – नागर विमानन सुरक्षा – नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो” के अंतर्गत ₹844.77 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में बीसीएएस द्वारा भवनों और संरचनाओं के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, आईसीटी उपकरण, फर्नीचर और फिक्सचर तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “5053” - “General - Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security”- saving of ₹844.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals for Buildings & Structures by BCAS in respect of Regional Offices, non-finalization of proposal for purchase of ICT equipment, furniture and fixtures and machinery and equipment.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “5475” – “निदेशन और प्रशासन – संबद्ध कार्यालय (आर्थिक सेवाएं)” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹693.70 लाख का अधिक व्यय (₹114.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹170.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो प्रयोगशाला की स्थापना संबंधी प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “5475” - “Direction and Administration - Attached Offices (Economic Services)” - excess of ₹693.70 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹170.00 lakhs including supplementary grant of ₹114.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards committed liabilities for establishment of Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) Lab.